

मृतक आश्रित सेवायोजन करने हेतु आवश्यक पत्रजात

- 1- आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर।
- 2- शैक्षिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्रमाणित।
- 3- मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर।
- 4- भाग-2 रजिस्टर की नकल।
- 5- उत्तरजीवी प्रमाण पत्र- उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत।
- 6- दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो सम्बन्धी न हो।
- 7- भूल निवास अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।
- 8- सेवायोजन कार्यालय में पंजियन कार्ड की छायाप्रति।
- 9- आय प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा निर्गत हो की छायाप्रति।
- 10- आवेदन पत्र पर फोटो प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित मुहर सहित।
- 11- उत्तरजीवी प्रमाण पत्र में अंकित बालिग व्यक्तियों द्वारा नोटरी शपथ पत्र की श्री/श्रीमती/कु0
.....पत्नी/पुत्री/पति..... को मृतक आश्रित को सेवायोजित करने पर कोई आपत्ति
नहीं है। शपथ पत्र चतुर्थ श्रेणी के प्रकरणों में समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी तथा लिपिक वर्ग के
प्रकरणों में अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 12- आवेदक द्वारा शपथ पत्र नोटरी द्वारा मृतक आश्रित के रूप में परिवार के किसी भी सदस्य का
सेवायोजित नहीं किया गया है। मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित होने पर परिवार का भरण
पोषण करूंगा/करूंगी।
- 13- आवेदक द्वारा शपथ पत्र की मैं भारत सरकार/राज्य सरकार एवं किसी भी सरकारी/सेवा
सरकारी उपकर्म आदि में कार्यरत नहीं हूँ।
- 14- सभी पत्रजातों पर प्रधानाचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर इण्टरकालेज, हाईस्कूल,
रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं अपर जिला शिक्षा अधिकारी
(बेसिक) के हस्ताक्षर के पश्चात प्रकरण उपलब्ध कराया जाय।
- 15- सभी पत्रजात दो सेटों में होने आवश्यक हैं।